

दिनांक 29/08/2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-37A/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक-2217(E) दिनांक-01.04.2026, पत्रांक-2360(E) दिनांक-09.04.2026 एवं पत्रांक-5625(E) दिनांक-17.08.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री अभिषेक पलासिया, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-2699 दिनांक-14.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2859(अनु०) दिनांक-22.08.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक-22.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या : पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-37A/OPRMC-III for the year 2026-33
- 2.2 योजना मद : 3054
- 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन
- 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹14205.75 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-3247(एस०) दिनांक-12.05.2026
- 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹16126.59 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1707 (अनु०), दिनांक-23.05.2026
- 2.6 ECV/परिमाण विपत्र की राशि : ₹14160.01965 लाख।
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 84 (Eighty-four) Months.
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (MBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 03.07.2026

2.10 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित 05 (पाँच) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :-

- | | |
|--|--|
| (1) Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar Singh (JV) | (2) Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV) |
| (3) Jai Mata Dee and Maa Sita Construction & DBS Construction Pvt. Ltd. (JV) | (4) M/s S&P Infrastructure Developers Private Limited |
| (5) M/s Vinod Kumar Jain | |

4. उपरोक्त कार्य की निविदा में कुल 05 (पाँच) निविदाकार यथा- (i) Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar Singh (JV) (ii) Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV) (iii) Jai Mata Dee and Maa Sita Construction & DBS Construction Pvt. Ltd. (JV) (iv) M/s S&P Infrastructure Developers Private Limited एवं (v) M/s Vinod Kumar Jain द्वारा भाग लिया गया।

दिनांक-13.08.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा 05 (पाँच) निविदाकारों में से 03 (तीन) निविदाकार यथा- (i) Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar Singh (JV) को MBD Section: 3 Clause-1.2.3 एवं NIT की कंडिका-39 (ii) M/s Vinod Kumar Jain को NIT की कंडिका-28 एवं (iii) M/s S&P Infrastructure Developers Private Limited को MBD Section :3 Clause 1.2.1 (b) एवं 2.2.2 के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 02 (दो) निविदाकार यथा-(i) Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV) एवं (ii) Jai Mata Dee and Maa Sita Construction & DBS Construction Pvt. Ltd. (JV) को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक-2699 दिनांक-14.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरुद्ध विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar Singh (JV) के Partner M/S Brijendra Kumar Singh का पत्रांक-शून्य दिनांक-17.08.2026 (2) M/s Vinod Kumar Jain का पत्रांक-VKJ/OPRMC/016 दिनांक-16.08.2026 एवं (3) M/s S&P Infrastructure Developers Private Limited का पत्रांक-S&P/Admin/2026-27/175 दिनांक-14.08.2026 के द्वारा परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2859(अनु०) दिनांक-22.08.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक-22.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. **परिवाद:-**उपरोक्त तकनीकी बीड में असफल 03 (तीन) निविदाकार यथा- (i) Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar Singh (JV) के Partner M/S Brijendra Kumar Singh का पत्रांक-शून्य दिनांक-17.08.2026 (ii) M/s Vinod Kumar Jain का पत्रांक-VKJ/OPRMC/016 दिनांक-16.08.2026 एवं (iii) M/s S&P Infrastructure Developers Private Limited का पत्रांक-S&P/Admin/2026-27/175 दिनांक-14.08.2026 द्वारा विषयांकित कार्य के तकनीकी बीड मूल्यांकन पर परिवाद प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	परिवादी निविदाकार का नाम	परिवाद के बिन्दु	परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय	परिवाद समिति की अनुशंसा
1.	Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar	उक्त कार्य में मैंने निविदा दिया था, जिसमें मुझे MMGSUY (UNNAYAN) Package No. RRSMP/2024-25/Bhabhua/04 का Existing Commitment & Ongoing Works में नहीं	BKS - SC (JV) के Lead Partner M/s Brijendra Kumar Singh के द्वारा पथ प्रमंडल, भभुआ ग्रामीण	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत

Singh (JV)	दर्शाया गया था, उसके सम्बन्ध में मुझे सूचित करते हुए कहना है कि उक्त कार्य समय पर पूरा हो चुका है। इस कार्य में मेरे द्वारा कार्य पूर्ण किया गया एवं Maintenance Work भी हुआ है, चूंकि यह कार्य पूर्ण हो गया एवं Maintenance Work जो बचा है, मेरे उक्त निविदा में Bid Capacity को भी प्रभाव नहीं कर रहा है, इसलिए निविदा में जिक्र नहीं किया गया है। अतः ये मेरी गलती नहीं है, आपसे आग्रह है कि उक्त निविदा के परिवाद को स्वीकार किया जाये एवं मेरे Technical Bid को Open करने की कृपा की जाय।	कार्य विभाग के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य Construction and 6 year routine Maintenance of work of Road MMGSUY (UNNAYAN) Package No.-RRSMP/2024-25/Bhabhua/04 का कार्य को अपने Existing Commitments and Ongoing works में नहीं दर्शाया गया है। अतः NIT की कंडिका 39 एवं MBD Section-3 Clause 1.2.3 का उल्लंघन है। अतः परिवाद की इस बिन्दु को अमान्य किया जाता है।	
2. Vinod Kumar Jain	An advocate welfare stamp is not governed by the Indian Stamp Act, 1899. Instead, it is mandated by specific State Advocates' Welfare Fund Acts or the central Advocates' Welfare Fund Act, 2001, and it is legally required to be affixed on a Vakalatnama, not strictly on an ordinary affidavit to make the affidavit valid. The welfare stamp is a statutory requirement meant to be pasted and cancelled on a Vakalatnama (the authorization document given to a lawyer) to fund the welfare and social security of advocates. Whereas, the validity of an affidavit itself falls under the Code of Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), rather than advocate welfare legislation. Since the submitted Affidavit is not a Vakalatnama mandated to be affixed under specific State Advocates' Welfare Fund Acts or the central Advocates' Welfare Fund Act, 2001, rather it is a document falls under the Code of Civil Procedure (CPC),	निविदाकार द्वारा निविदा के साथ Uploaded शपथ-पत्र में वांछित शपथ-पत्र पर Additional Rs. 25/- का Advocate Welfare stamp affix नहीं किया गया है। विभागीय पत्रांक-3608(E) दिनांक- 22.05.2020 द्वारा किये गए प्रावधान It is mandatory to attached Rs. 25/- Advocate welfare stamp on affidavit for advocate welfare fund. तदनुसार MBD NIT की कंडिका-28 पर निदिष्ट उक्त वांछित	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत

		the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavit under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), hence Advocate Welfare Stamp is not required to be affixed on the Affidavit. Therefore, the Contractor's/Bidder's Bid cannot be considered as 'non-responsive' on this ground, Bituminous Cold Mix Not required as per Clause 2.4.2	अहर्ता का अनुपालन नहीं किया गया है, अतः निविदाकार की आपत्ती को अमान्य किया जाता है।	
3.	S&P Infrastructure Developers (P) Ltd.	Alleged declaration as Non-Performer Clause 2.2.2 of Section 3, read with Form CON-1, says that contract non-performance during the last five years can be considered only when the dispute has been fully settled. It also explains that a dispute is fully settled only after it has been decided under the contract and all available appeals have been completed. In our case, there is no such final decision. A rectification notice, departmental letter, internal remark, or pending dispute cannot by itself prove that a contractor is a Non-Performer under Clause 2.2.2. We have never received any show-cause notice or final order declaring us a Non-Performer for the Ara-Chapra via Babura-Doriganj Road work. The technical evaluation also does not mention the number, date, issuing authority, or validity of the alleged order. We therefore request you to provide us a copy of the order relied upon. Until such a final order is shown, this reason should not be used to reject our Bid. The Ara-Chapra via Babura-Doriganj Road work has already been completed. After completion, the Executive Engineer issued a letter dated 08.06.2026 <u>for some rectification work</u>. We responded and arranged the required manpower and machinery. The work took some time because resources had to be arranged again and permission was required from the District Administration for traffic management. These facts were explained in our letters dated 13.07.2026 and 01.08.2026.	कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथप्रमंडल, आराका पत्रांक-3528 दिनांक-31.12.2025 पत्रांक-1167 दिनांक-30.03.2026, पत्रांक-1682 दिनांक-25.05.2026 एवं अधीक्षण अभियंता का पत्रांक-1234 (अनु०), दिनांक-18.06.2026	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत

This is only a rectification matter after completion of the work. It has not been finally decided against us under the contract. Therefore, it should not be treated as poor performance or as a ground for rejecting our Bid under Clauses 1.2.1(b) and 2.2.2.

Declaring a contractor as a Non-Performer has serious effects on its business. Before taking such action, the contractor must be issued the Show Cause Notice of the proposed action and given a proper chance to explain its case. We were not given any such notice or opportunity and even also not been issued a formal letter declaring us a Non-Performer. Therefore, application of Clauses 1.2.1(b) and 2.2.2 for disqualification is beyond the terms of the tender.

Certificate for ongoing works

The second reason says that the Engineer-in-Charge certificate for one ongoing work was not uploaded as required under Clause 1.2.3 of Section 3, Section 4E.10/Form FIN-4, and Serial No. 39 of the NIT. However, the evaluation does not mention which work or certificate is missing. It also does not show the amount taken for that work or the calculation of our bid capacity.

We had disclosed all our ongoing works in the Bid and submitted the certificates available with us. Copies of the certificates are again enclosed for easy reference. We had given the name of each project, the employer, contract amount, completion period, and balance commitment. We did not hide any work or liability.

In EPC contracts, the officer performing the role of Engineer-in-Charge is generally called the Authority's Engineer or Authority Engineer under Article 18 of the EPC Agreement. Therefore, a certificate issued by the competent Authority Engineer should be accepted even though the designation is different.

We are not asking for any change in our Bid or for adding any new experience or qualification. We are

जो कि परिवाद में संलग्न है, से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा कार्य करने हेतु निदेशित किया गया है, परन्तु संवेदक द्वारा कार्य नहीं किया गया है। कार्यपालक

अभियंता द्वारा स्पष्ट लिखा गया है कि TTRI के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा आरा- छपरा भाया बबुरा पथ के चैनेज 8 से 9 कि०मी० में कराये गये PQC कार्य

Specification के अनुरूप नहीं है। अतः अपने खर्च पर उक्त कार्य का Dismantle कर पुनः Specification के अनुरूप PQC कार्य कराना सुनिश्चित करें। निविदाकार का उक्त कार्य MBD Section-3 की कंडिका 1.2.1 (b) poor performance की श्रेणी में आता है। अतः परिवाद का आरोप मान्य नहीं है।

NIT की कंडिका-28 के अनुसार Existing Commitment of ongoing work के सूची में सभी कार्य के Supporting document EIC द्वारा निर्गत पत्र Upload किया जाना आवश्यक है।

अतः परिवाद में उल्लेखित बिन्दु को अमान्य किया जाता है।

	only asking for confirmation of the information already submitted with the Bid. Under ITB Clauses 22 and 25, the Authority may ask the bidder for clarification or supporting documents, provided that the Bid price and its main contents are not changed. The required confirmation would only verify the details already given in Form FIN-4 and would not change our Bid in any manner. The issue relates to only one work out of around 30 works disclosed by us. If there was any doubt, the Authority could have asked us for clarification. It could also have taken the full balance value of that work while calculating our bid capacity and checked whether we still met the requirement. We therefore request the Evaluation Committee to tell us which certificate is considered missing and provide the bid-capacity calculation. We are ready to submit the required confirmation from the Authority Engineer/Engineer-in-Charge immediately. In view of the above, the Bidder respectfully requests that the competent authority to declare our bid responsive/qualified in accordance with tender documents and open our Financial bid. This representation is made bona fide and without prejudice to all contractual, statutory, and constitutional rights and remedies available to the Bidder. The Bidder requests a speaking decision before the Financial Bids are opened and communicated to it at the earliest.	
--	--	--

7. परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

समिति के स्वतः संज्ञान में आया कि JV के Case में दोनों Partner का किसी भी मद की मात्रा एक ही वित्तीय वर्ष में लिया जाना है। जाँचोपरान्त निविदाकार Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV) का Bituminous की मात्रा किसी एक वित्तीय वर्ष में लेने पर MBD Section 3 Clause 2.4.2 (b) की न्यूनतम दाँछित मात्रा से कम है। अतः Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV) को MBD Section 3 Clause 2.4.2 (b) के तहत असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है। शेष 01 (एक) निविदाकार Jai Mata Dee and Maa Sita Construction & DBS Construction Pvt. Ltd. (JV) के सफल रहने के कारण पुनर्निविदा की अनुशंसा की जाती है।

8. परिवाद समिति का निर्णय :-

(i) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar Singh (JV) के Partner M/S Brijendra Kumar Singh का पत्रांक-शून्य दिनांक-17.08.2026 (2) M/s Vinod Kumar Jain का पत्रांक-VKJ/OPRMC/016 दिनांक-16.08.2026 एवं (3) M/s S&P Infrastructure Developers Private Limited का पत्रांक-S&P/Admin/2026-27/175 दिनांक-14.08.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य करने का निर्णय लिया जाता है।

(ii) 05 (पाँच) निविदाकारों में से 04 (चार) निविदाकार यथा- (1) Birendra Prasad Singh & Brijendra Kumar Singh (JV) को MBD Section: 3 Clause-1.2.3 एवं NIT की कंडिका-39 (2) M/s Vinod Kumar Jain को NIT की कंडिका-28 एवं (3) M/s S&P Infrastructure Developers Private Limited को MBD Section :3 Clause 1.2.1 (b) एवं 2.2.2 के तहत (4) Arvind Singh & Jai Maa Sherawali Construction (JV) को MBD Section 3 Clause 2.4.2(b) के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 01 (एक) निविदाकार यथा-(1) Jai Mata Dee and Maa Sita Construction & DBS Construction Pvt. Ltd. (JV) को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

(iii) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में एक निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप निविदा रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना दिया गया।

(iv) उपभागीय ज्ञापांक-2699 दिनांक-14.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा रखा जाय।

(v) मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

 (राजकुमार) मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (राजेश कुमार गुप्ता) मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (अभिषेक पलासिया) संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (उमा कान्त रजक) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
--	---	--	--

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-124/2026 5998(E)

पटना, दिनांक 29/8/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।